प्रेस नोट दिनांक-07.09.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चोरी के नगद 3000 रूपये व चोरी के 01 बंडल केबल (तार) के साथ के साथ 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ़्तार किया गया
शातिर अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत महकनी बायपास के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रथम प्रकरण-

वादी निवासी सड़क बाजार प्रतापगढ सिटी थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ का किराने की दुकान है। दिनांक 04.09.2025 को वादी अपने दुकान पर कुछ काम करने लगा तो इतने में किसी ने गल्ले से पैसे चुरा लिया था। वादी को बाद मे पता चला कि गल्ले से पैसे कम है, तब प्रार्थी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से देखा तो पता चला कि मुन्ना उर्फ आमिर पुत्र चिरखू निवासी सड़क बाजार प्रतापगढ थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ ने ही गल्ले से लगभग 6000 रू0 चोरी किया है। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 232/2025 अंतर्गत धारा 303 (2), 317 (2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

दित्तीय प्रकरण-

वादी निवासी शिव विहार कालोनी फुलवारी मजरे टेउंगा थाना को0 देहात प्रतापगढ अपना नया मकान शिव विहार कालोनी फुलवारी मे बनवा रहा है जो द्वितीय तल निर्माणाधीन है वादी कुछ समय के लिये अपने मकान मे ताला लगाकर अपने स्थायी गांव चाहिन थाना उदयपुर चला गया था। वादी जब दिनांक 19/07/2025 को अपने मकान पर दिन में गया तो वादी ने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है। उसके घर मे कुछ अज्ञात चोर ताला तोडकर मकान मे हुए वायरिंग का तार सारा काटकर व स्टोर रूम का ताला तोडकर स्टोर रूम मे रखा हुआ पाँच बंडल वायरिंग का तार व नल फिटिंग का सामान चुरा ले गये। वादी का लगभग एक लाख रूपये का सामान अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/2025 अंतर्गत धारा 305,331(4), 317 (2) बीएनएस बनाम 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेत्तृत्व में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का० राजेश कुमार, का0 रिनेश द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 232/2025 अंतर्गत धारा 303 (2), 317 (2) बीएनएस व मु0अ0सं0 210/2025 अंतर्गत धारा 305,331(4), 317 (2) बीएनएस से संबंधित 01 शातिर अभियुक्त मोहम्मद आमिर उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद मकसूद निवासी चक फतेह अली शाह सिटी प्रतापगढ़ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20

वर्ष को चोरी के नगद 3000 रूपये व चोरी के 01 बंडल केबल (तार) के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत महकनी बायपास के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 04.09.2025 कि शाम में मैंने वादी निवासी सड़क बाजार सिटी प्रतापगढ़ की दुकान के गल्ले से ₹6000 चुराए थे। इसके बाद मौका पाकर मैं यहां से भाग रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। गलती हो गई पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी से पहने हुए लोवर की जेब से 3000 रुपए बरामद हुए तथा दाहिने हाथ में एक बंडल केवल बरामद हुआ इसके बारे में पूछने पर मोहम्मद आमिर उर्फ मुन्ना ने बताया कि यह वही रुपए हैं जो मैंने वादी निवासी सड़क बाजार सिटी प्रतापगढ़ की दुकान के गल्ले से चुराए थे इनमें से कुछ रुपए खर्च हो गए हैं, 3000 बचे थे, जिन्हें लेकर मैं दूसरे शहर भागने की फिराक में था। केवल के बारे में पूछने पर बताया कि यह केवल मैंने शिव विहार कॉलोनी फुलवारी टेऊंगा थाना कोतवाली देहात के एक बंद पड़े मकान से चुराया था उसे चोरी में मुझे कुछ केबल और मिले थे जिन्हें जलाकर तार निकालकर मैंने राह चलते कबाड़ियों को बेच दिया था। उससे मिले पैसे खर्च हो गए थे एक बंडल केवल नया बचा था जिसे मैं आज अपने साथ ले जाकर बेचने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मोहम्मद आमिर उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद मकसूद निवासी चक फतेह अली शाह सिटी प्रतापगढ़ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
मोहम्मद आमिर उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद मकसूद निवासी चक फतेह अली शाह सिटी प्रतापगढ़ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 232/2025 अंतर्गत धारा 303 (2), 317 (2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 210/2025 अंतर्गत धारा 305,331(4), 317 (2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
चोरी के नगद 3000 रूपये व चोरी के 01 बंडल केबल (तार) बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का० राजेश कुमार, का0 रिनेश थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।प्रेस

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़'
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
एसपी द्वारा चेकिंग के दिये गये है कडे निर्देश

संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत नेवादा पुल के करीब साड़ा हर्षपुर के पास से मोटर साइकिल सवार 03 अभियुक्तों के पास से 10 किलो 230 ग्राम नाजायज गांजा अवैध गांजा बरामद किया गया तथा 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया- मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकार लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में दिनाँक 06.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र भदौरिया थाना संग्रामगढ़ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, चेकिंग के दौरान नेवादा पुल के करीब साड़ा हर्षपुर से उ0नि0 विनय वर्मा, उ0नि0 सूबेदार राय मय हमराह का० वीरेन्द्र कुमार, का0 पंकज सिंह व का0 रामनरेश जाट द्वारा मोटर साइकिल पर सवार 03 अभियुक्तों 1. बब्लूपाल पुत्र सदाशिव पाल उम्र 36 वर्ष निवासी औसानगंज थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ 2. रामलखन यादव पुत्र कल्लू यादव उम्र 54 वर्ष निवासी हिसामपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ 3. धीरेन्द्र पटवा पुत्र रामफल पटवा उम्र 25 वर्ष निवासी बाबागंज थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध गांजा कुल वजन 10 किलो 230 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया ।

बरामद अवैध गांजा के संबंध में थाना संग्रामगढ़ में मु0अ0स0- 160/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। मोटर साइकिल सीडी डीलक्स को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. बब्लूपाल पुत्र सदाशिव पाल उम्र 36 वर्ष निवासी औसानगंज थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ।
2. रामलखन यादव पुत्र कल्लू यादव उम्र 54 वर्ष निवासी हिसामपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
3. धीरेन्द्र पटवा पुत्र रामफल पटवा उम्र 25 वर्ष निवासी बाबागंज थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ।

बरादगी का विवरण-

10 किलो 230 ग्राम नाजायज गांजा बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विनय वर्मा, उ0नि0 सूबेदार राय मय हमराह का० वीरेन्द्र कुमार, का0 पंकज सिंह व का0 रामनरेश जाट थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्तं को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत पकडी मोड ग्राम बैरमपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 रणजीत सिंह, का0 दीपक राजभर द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त प्रदीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व श्री रामचन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम देवकली हनुमानगंज थाना सराय इनायत जनपद प्रयागराज उम्र करीब 26 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत पकडी मोड ग्राम बैरमपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 04 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 196/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. प्रदीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व श्री रामचन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम देवकली हनुमानगंज थाना सराय इनायत जनपद प्रयागराज उम्र करीब 26 वर्ष ।

बरामदगी-
04 अदद देशी नाजायज बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 रणजीत सिंह, का0 दीपक राजभर थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्त को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत दुखिया चौहारा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के पर्वेक्षण में थाना कुण्डा के उ0नि0 राजकुमार यादव, हे0का0 अरविन्द सिंह, का0 रामप्रताप द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87/352/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट तथा 3(1)द/3(1)ध/3(2)5/3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मनोज कुमार पटेल पुत्र सदाशिव पटेल निवासी जालिमगंज, बसहीपुर थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत दुखिया चौहारा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मनोज कुमार पटेल पुत्र सदाशिव पटेल निवासी जालिमगंज, बसहीपुर थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 233/2025 – धारा 137(2)/87/352/64(1) बीएनएस व 3/4 पास्को एक्ट व था 3(1)द/3(1)ध/3(2)5/3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 232/2023 – धारा 304/376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 203/2021 – धारा 279/337/338 भादवि थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राजकुमार यादव, हे0का0 अरविन्द सिंह, का0 रामप्रताप थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 राजेन्द्र राम मय हमराह का0 विवेक यादव के द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, एसटी नं. 60/19 धारा 138 एनआई एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त रामलखन सरोज पुत्र रामतेज सरोज नि0 ग्राम कौड़िया डीह जलेसरगंज थाना लालगंज प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रामलखन सरोज पुत्र रामतेज सरोज नि0 ग्राम कौड़िया डीह जलेसरगंज थाना लालगंज प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजेन्द्र राम मय हमराह का0 विवेक यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।